भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2938
(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

वीबी-जी राम जी के तहत वित्तीय परिव्यय

2938. श्री टी. एम. सेल्वागणपति:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 125 दिनों के वादा किए गए रोजगार का वित्तपोषण विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (वीबी-जी-राम जी) के तहत उपलब्ध कराए गए व्यय से किया जाना है और यदि हां, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए 30,000 करोड़ रुपये के प्रावधान के आवंटन का ब्यौरा और उद्देश्य क्या है;

(ख) मनरेगा को अधिसूचना द्वारा निरस्त किए जाने की औपचारिक रूप से समाप्त किए जाने और वीबी-जी-राम जी के प्रारंभ होने की समयावधि का ब्यौरा क्या है और विशेषकर लागत साझाकरण और मानक आवंटन संबंधी दिशानिर्देशों को राज्य-वार कब तक लागू किया जाएगा; और

(ग) क्या राज्यों को केंद्रीय बजट के साथ-साथ अपने-अपने बजट तैयार करते समय उनके आवश्यक 40 प्रतिशत हिस्से के बारे में सूचित किया गया था?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जीराम-जी अधिनियम, 2025, प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम कार्य करने के इच्छुक हैं उन्हें एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सौ पच्चीस दिनों का मजदूरी रोजगार प्रदान करने की गारंटी प्रदान करता है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) के लिए ₹ 95,692.31 करोड़ के केंद्रीय अंशदान का प्रावधान किया गया है, जो बजट

अनुमान स्तर पर ग्रामीण रोजगार के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। अनुमानित राज्य अंशदान की राशि शामिल करने के बाद, कार्यक्रम का कुल परिव्यय 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है, जिससे ग्रामीण कायाकल्प, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और ग्रामीण क्षेत्रों में आय में वृद्धि में काफी तेजी आने की आशा है।

विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण (वीबी-जीराम-जी) अधिनियम 2025 की धारा 37 की उप-धारा (5) के अनुसार, महात्मा गांधी नरेगाा योजना से वीबी-जीराम-जी योजना में सुगमता से परिवर्तित होने के लिए 30,000 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इससे विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन-ग्रामीण (वीबी-जीराम-जी) अधिनियम के लागू होने तक महात्मा गांधी नरेगाा योजना के तहत वित्तीय प्रतिबद्धताओं के पूरा हो जाने की आशा है।

(ख): वीबी-जीराम-जी अधिनियम, 2025 की धारा 37 की उप-धारा (1) के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, सभी नियमों, अधिसूचनाओं, योजनाओं, आदेशों और उसके तहत बनाए गए दिशानिर्देशों के साथ, उस तिथि को निरस्त हो जाएगा जो तिथि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा वीबी-जीराम-जी अधिनियम, 2025 की धारा 1 की उप-धारा (2) के अनुसार निर्धारित करेगी।

(ग): वीबी-जीराम-जी अधिनियम, 2025 की धारा 22 की उप-धारा (2) और (3) के अनुसार, केंद्र और राज्य के बीच निधि साझा करने की पद्धति का उल्लेख इस अधिनियम में पहले ही किया जा चुका है और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी वीबी-जीराम-जी अधिनियम लागू होने के बाद सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के साथ आयोजित विभिन्न बैठकों के दौरान वीबी-जीराम-जी अधिनियम के तहत वित्त पोषण की पद्धति के बारे में अवगत कराया गया है।

****